

प्रेषक,

आशीष तिवारी,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उप वन महानिरीक्षण (केन्द्रीय)  
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, अलीगंज लखनऊ।

**पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 22 जून, 2022**

**विषय-** कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-Post Facto) के अन्तर्गत अलीगढ़-राया-मथुरा मार्ग (एस0एच0-80) किमी0 26.320 की दांयी पटरी पर ग्राम बिसावली के खसरा संख्या-537 में एस्सार ऑयल कार्पो0 लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.075012 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 07 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/अदर्स/13877/2015)


**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-08बी/यूपी/06/40/2017/एफसी/609 दिनांक 03.01.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में कतिपय शर्तों के साथ सैद्धांतिक स्वीकृति निर्गत की गई थी। तत्कम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-3446/11-सी-एफपी/यूपी/अदर्स/13877/2015 दिनांक 03.06.2022 द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या उपलब्ध करायी गई है।

2- अतएव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र दिनांक 03.06.2022 द्वारा उपलब्ध करायी गई अनुपालन आख्या की प्रति प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

**संलग्नक : यथोक्त।**

भवदीय,

  
(आशीष तिवारी)  
सचिव।

**संख्या एवं दिनांक तदैव।**

**प्रतिलिपि-** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
2. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

  
(आरु पी0 सिंह)  
अनु सचिव।